

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Om Prakash Mathur के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 839 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

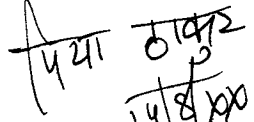
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AKSHITA MATHUR	SH. NEERAJ MATHUR MOB- 9460533144	3	NO.1 AFS JODHPUR
2	MITANSHU BHARDWAJ	SH. JYOTI BHARDWAJ MOB- 7357190295	8	NO.2 JOTHWARA
3	CHIRAG DANGI	SH. HEMANT KUMAR DANGI MOB- 9828751511	9	NO.2 JOTHWARA
4	YATI BHARDWAJ	SH. HEMANT KUMAR SHARMA MOB- 9829478900	9	NO.2 JOTHWARA
5	SHILU KANWAR	SH. GHEESU SINGH MOB- 8949048192	6	NO.1 BAJAJ NAGAR
6	KHWAHISH SHARMA	SH. DHARMENDRA SHARMA MOB- 9352404036	1	NO.1 BAJAJ NAGAR
7	YOGITA	SH. BHAWANI SINGH MOB- 9414196720	1	PALI RAJASTHAN
8	SUMIT RATHORE	SH. SURESH KUMAR RATHORE MOB- 9461454288	9	NO.1 AFS JODHPUR
9	HARSHIT CHOUBEY	SH. MUKESH CHOUBEY MOB- 9027269002	9	NO.5 MANSAROWAR
10	AAYUSH SHRAMA	SH. SANDEEP KUMAR SHRAMA MOB- 9314032146	1	NO.3 JHALNA DUNGRI

प्रिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Om Prakash Mathur माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JAIPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)